

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2011/भाद्र 15, 1933
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2011/BHADRA 15, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

सं. एल-1/42/2010-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत
विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 के
निम्नलिखित विनियम को संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘पृष्ठ 5 में, विनियम 6 के पंक्ति 2 और 3 में, “व्यतिक्रमी
इकाई” शब्दों के स्थान पर, “विनियमन इकाई” शब्द रखे जाएंगे।’

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/अस.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं. 248, भाग III, खण्ड 4
में तारीख 30-9-2010 को प्रकाशित किए गए थे।